संख्या 855 / पी०एस०(ए०जी०)/20

आश्वश्यक / समयबद्ध

संख्या– 3 / पीएस(एजी) / कैम्प / 20

प्रेषक,

प्रमुख सचिव (कृषि)
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. पुलिस कमिश्नर, लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

लखनऊः: दिनांक 4 अप्रैल ,2020

विषय **कोविड–19 के सम्बन्ध में वर्तमान रबी 2019–20 की फसलों की कटाई, मडाई हेतु कम्बाईन हारवेस्टर / रीपर / अन्य सहवर्ती उपकरणों के मरम्मत आदि के सम्बन्ध में।**

महोदय,

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 22.03.20 एवं प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के पत्रांक–679 / पॉच / 5 / 2020 दिनांक 22.03.202, कृषि उत्पादन आयुक्त के पत्र संख्या–41 / कृ0उ0आ0 / 2020 दिनांक 29.03.2020 एवं शासनादेश संख्या–848 / पी0एस0(कृषि) / 2020 दिनांक 02.04.2020 द्वारा लॉकडाउन की स्थिति में आवश्यक सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। जिसमें कृषि कार्यक्रमों के साथ–साथ रबी फसलों की कटाई एवं जायद की बुवाई के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश / छूट प्रदान की गयी है।

उपरोक्त विषयक महत्वपूर्ण कार्यकम के सम्बन्ध में सचिव, गृह, मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर्स, भारत सरकार के निर्देश दिनांक 03.04.2020 के द्वारा निम्न कार्यक्रमों में छूट प्रदान की गयी है।

(अ) कृषि एवं सहवर्ती उपकरणों की दुकान, सर्विस सेन्टर, स्पेयर पार्टस की दुकानों को **यथा आवश्यक कृषकों की सुविधा के अनुरूप** कस्बों में खोले रखने की छूट दी गयी है।

(ब) आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में प्रयुक्त भारी वाहन / ट्रक / ढुलाई मे प्रयुक्त छोटे वाहन के मरम्मत की दुकानें, प्राथमिकता के आधार पर हाई–वे व पेट्रोल पम्प के आस पास खोलने की छूट प्रदान की गयी है।

उपर्युक्त निर्देश के कम में जनपद में प्रयुक्त होने वाले कटाई, मडाई से सम्बन्धित कम्बाईन हारवेस्टर, रीपर, ट्रैक्टर एवं अन्य ,कृषि उपकरणों के प्रयोग एवं विभिन्न परिस्थितियों में संचालन के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिए जाते है:–

1. कम्बाईन हारवेस्टर, रीपर, ट्रैक्टर एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों जो जनपद के अन्दर ही उपलब्ध है, उनके चालक, तकनीशिएन एवं श्रमिक को अपने जनपद में कटाई–मडाई हेतु किसी प्रकार के अनुमति पत्र / पास की आवश्यकता नहीं है।
2. कम्बाईन हारवेस्टर, रीपर, ट्रैक्टर एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों जिस जिले में उपलब्ध है, वहाँ से अन्य जनपद में कटाई, मडाई हेतु जाने के लिए उपलब्ध जनपद के जिला प्रशासन द्वारा द्वारा अनुमति पत्र / पास दिया जायेगा, जो दूसरे सभी जनपदों हेतु मान्य होगा।
3. कम्बाईन हारवेस्टर, रीपर, ट्रैक्टर एवं अन्य सहवर्ती उपकरण जो एक जिले मे उपलब्ध है और उनके चालक, तकनीशिएन श्रमिक (1+4) आदि **अन्य जनपद** में है, उन्हे उस जनपद के जिला प्रशासन द्वारा अनुमति पत्र / पास दिया जायेगा, जहाँ ये चालक तकनीशिएन उपलब्ध है तथा वह गंतव्य जनपद हेतु मान्य होगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संबंधित

Scanned by CamScanner

जिला (जहां पर हार्वेस्टर स्थित है) के उप निदेशक कृषि कुशल श्रमिकों के नाम को संस्तुति सहित संबंधित अन्यं जिला प्रशासन को अग्रसारित करेंगे।

4. कम्बाईन हारवेस्टर, रीपर, ट्रैक्टर एवं अन्य सहवर्ती उपकरण और उनके चालक, तकनीशिएन श्रमिक जो अन्य राज्य में उपलब्ध है (1+4)और वह उत्तर प्रदेश में कटाई–मडाई हेतु आना चाहते है, वे अपने प्रदेश के जिलाधिकारी/उपायुक्त से अनुमति/पास लेकर आ सकेंगे, वही पास उत्तर प्रदेश के जनपदो हेतु मान्य होगा।
5. कम्बाईन हारवेस्टर, रीपर, ट्रैक्टर एवं अन्य सहवर्ती उपकरण जो उत्तर प्रदेश के जिले मे उपलब्ध है परंतु उनके चालक, तकनीशिएन श्रमिक (1+4) अन्य राज्य में उपलब्ध है और वह उत्तर प्रदेश में कटाई–मडाई हेतु आना चाहते है, वे अपने प्रदेश के जिलाधिकारी/उपायुक्त से अनुमति/पास लेकर आ सकेंगे, वही पास उत्तर प्रदेश के जनपदो हेतु मान्य होगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संबंधित जिला (जहां पर हार्वेस्टर स्थित है) के उप निदेशक कृषि कुशल श्रमिकों के नाम को संस्तुति सहित संबंधित अन्य राज्य के जिला प्रशासन को अग्रसारित करेंगे।
6. ट्रैक्टर माण्टेड हारवेस्टर में ट्रैक्टर व हारवेस्ट के फिटिंग हेतु अधिकृत तकनीशिएन को जिला प्रशासन द्वारा अनुमति पत्र/पास दिया जायेगा, वह प्रदेश के अन्य जनपदों हेतु मान्य होगा।
7. कम्बाईन हारवेस्टर, रीपर, ट्रैक्टर एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों के अधिकृत विक्रेताओं एवं अधिकृत तकनीशिएनों आदि को अन्य जनपदों से स्पेयर पार्ट्स लाने सर्विसिंग एवं मरम्मत आदि हेतु जिला प्रशासन द्वारा अनुमति पत्र/पास दिया जायेगा, वह प्रदेश के अन्य जनपदों हेतु मान्य होगा।
8. किसानों को स्वयं अथवा किसानो के खेतो पर श्रमिकों को एवं ट्रैक्टर–थ्रेशर आदि यंत्रों से कटाई, मडाई, बुआई आदि कार्य करने हेतु किसी भी प्रकार के पास/अनुमति पत्र की आवश्यकता नही होगी।
9. कटाई–मडाई से सम्बन्धित कम्बाईन हारवेस्टर, रीपर, ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि उपकरणों आदि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर **संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), उत्तर प्रदेश,** कृषि भवन, लखनऊ को उनके **मोबाईल नं0– 9415435220** एवं राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम से सम्पर्क किया जा सकता है।

उक्त छूट लॉक डाउन का अनुपालन करते हुए सोशल डिस्टेसिंग, साफ–सफाई का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव, कृषि

संख्या– /पीएस(एजी)/कैम्प/20 दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि– कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को इस आशय कि वह जिला कृषि अधिकारी एवं उप कृषि निदेशक को उक्त निर्देश प्रेषित करें।

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव, कृषि

Scanned by CamScanner